राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एमई / ग्रुप–1 / 2021 जयपुर, दिनांक : 30 JUL 2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 के द्वारा डॉ. तपेन्द्र नाथ तिवारी (रेडियोडाइग्नोसिस विशिष्ठता, मेरिट संख्या–13, वर्ग–सामान्य) को सहायक आचार्य, रेडियोडाइग्नोसिस (रेडियोडाइग्नोसिस विशिष्ठता में क्र.सं.–12) के पद पर नवनियुक्ति प्रदान कर, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में पदस्थापित किया गया था तथा कार्यग्रहण हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि दी गई।

डॉ. तिवारी के द्वारा निर्धारित कार्यग्रहण समयावधि 15 दिवस में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर विभागीय समसंख्यक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 05.07.2021 के द्वारा डॉ. तिवारी को सूचित किया गया कि दिनांक 12.07.2021 तक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर, इस विभाग को अवगत करावे। उक्त तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगें। डॉ. तिवारी द्वारा निर्धारित समय में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 के द्वारा डॉ. तपेन्द्र नाथ तिवारी का सहायक आचार्य, रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोडाइग्नोसिस विशिष्ठता में क्र.सं.–12) के पद हेतु जारी किया गया नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा) 30/7/2021
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.–7(38)(1–41)भर्ती 'ख' / गोपनीय / 2018–19 / 222 दिनांक 01.04.2021 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ. तपेन्द्र नाथ तिवारी पुत्र श्री जग मोहन तिवारी, फ्लैट नं. 404, ई–ब्लॉक, पैसेफिक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज, उमरदा, उदयपुर (राज.)–313015 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

30/7/2021
(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव